न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर – जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली

प्र0सं0 39/2020 (2020/00106)
वादअन्तर्गत धारा– 88,188 आर0टी0एक्ट

श्री सुनिल कुमार पिता लक्ष्मीलाल हिरण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

निर्णय दिनांक 16.10.2020

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी नं 02 की ओर से प्रा.पत्र 0–7 R–11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा एवं विभाजन की डिक्री प्रदान कराई जावे कि आ0सं0 7534/7466 रकबा 0.1000 हे0 पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है हम वादीगण को खातेदार कानूनकार घोषित किया जावे।

मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 02 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में किया गया जिसका मुआवजा आवार्ड राजस्व विभाग के नाम से पारित किया गया है।

प्रतिवादी संख्या 02 का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि आबादी होने के कारण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है और इसी कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया तथा अपने जवाब में अंकित किया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है तथा वादीगण द्वारा कय की गई भूमि की घोषणा एवं भू प्रबन्ध विभाग द्वारा आराजी संख्या 7466/5591 रकबा 0.0008 हे0 को गे0मु0 बिलानाम दर्ज कर दी जबकि भू–प्रबंध अधिकारी को खातेदारी की जमीन को बिलानाम करने का कोई अधिकार नहीं था।

वादीगण ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि उक्त प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर साक्ष्य बंद करा दी है तथा प्रकरण अंतिम बहस के लिए है प्रतिवादी 02 जानबुझ कर प्रकरण को लम्बा करने के उद्धेश्य से अन्तिम [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारीज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchoil
Date: 2021.01.15 12:00:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सि0प्र0सं0 निस्तारित करते समय न्यायालय को मात्र वाद पत्र में अभिवचनों को ही देखना होता है। वादपत्र के अभिवचनों के अध्ययनोपरांत उक्त आवेदन पत्र में वर्णित किसी भी आधार पर वादपत्र नामंजूर किये जाने योग्य नहीं है मात्र प्रकरण को विलंबित करने के अनुचित उद्धेश्य की पूर्ति हेतु असद्भाविक आशय से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना दृष्टिगत होता है।

प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अपने प्रार्थना– पत्र के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया–

एआईआर 2011 एस0सी0 पेज संख्या 3210 भारत संघ बनाम डॉ0 कुशल शेट्टी व अन्य पेश की जिसका अवलोकन किया गया उक्त नजीर के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने से यह नजीर इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है

वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब एवं बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:–

1. आर0आर0टी0 2019 (1) एस0सी0 पेज 291 – प्यारेलाल बनाम शुभेन्द्र पिलानीया
2. आर0आर0टी0 2012 (2) एस0सी0 पेज 1056 – देऊ बाई बनाम सिविल जज नं0 1 कोटा व अन्य
3. आर0आर0टी0 2009–10 एस0सी0 पेज 614 द्वारका प्रसाद बनाम रामेश्वर लाल व अन्य
4. ड्ब्ल्यू एस0सी0 राज0 यु0सी0 2014 पेज 307 बालकिशन वगैरा बनाम मनोज कुमार वगैरा

" विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी वाद के क्षेत्राधिकार का बिन्दु वाद के अभिवचन के आधार पर तय किया जाना चाहिये।

वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध इस आशय की घोषणा एवं विभाजन की डिक्री प्रदान कराई जावे कि आराजी संख्या 7534/7466 रकबा 0.1000 हे0 वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज है, हम वादीगण को खातेदार घोषित कराये जाने की डिक्री चाही गई है उक्त मुख्य सहायता के साथ–साथ वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध आराजी संख्या 7534/7466 रकबा 0.1000 हे0 में से प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा एनएचआई –758 में अवाप्त–शुदा रकबा 0.0080 हे0 का मुआवजा प्रतिवादी संख्या 01 के बजाए हम वादीगण को भुगतान कराया जाए।

न्यायालय द्वारा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि, न्यायालय प्रार्थी प्रतिवादीगण संख्या 02 का प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित समझता हैं अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:00:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
...पुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्र0सं0 39/2020 (2020/00106)
वादअन्तर्गत धारा– 88,188 आर0टी0एक्ट

—::आदेश::—

प्रतिवादीगण संख्या 02 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता का पोषनीय नहीं होने से खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 16.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर।)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:00:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner